ISSN No-2031-5063 Vol.1,Issue.VII/Jan 2012pp.1-4

Research Paper

नारी उत्पीड़नः आधुनिक संदर्भ में

ममता रानी
शोध छात्रा–पी.एच.डी. हिन्दी विभाग
सिघांनिया विश्वविधालय (राजस्थान)

प्रस्तावना :–

आधुनिक समय से हमारा अभिप्राय आज के वर्तमान समय से है। सैंकड़ो सालों से हमारे समाज में रूढ़िवादी धारणाओं के कारण नारी जाति का शोषण व उत्पीड़न होता आया है। यह माना जाता है कि समय के साथ साथ बहुत से बदलाव होते है परन्तु फिर भी कहीं ना कहीं आधुनिक समय में भी नारी का शोषण व उत्पीड़न किया जा रहा है। आज भी नारी के साथ दहेज से संबधिंत घटनाएँ देखने को मिलती है कहीं पर देखा जाता है कि दहेज के लोभियों द्वारा नारी की हत्या कर दी गई हैं नारी को आज भी कई जगहों पर पर्दे में व घर में कैद करके रखा जाता है। आधुनिक समय में भी अनपढ़ता जैसी बीमारी नारी जाति में देखी जा सकती हैं। हमारे ही समाज में आज के आधुनिक समय में कहीं कहीं बेटे की चाह में बेटियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता हैं। और बेटी पैदा करने का सारे का सारा श्रेय औरत को दे दिया जाता हैं। औरत पर आधुनित समय में भी अत्याचार किये ही जाते हैं। प्राचीन समय की तरह आधुनिक समय में भी नारी का शोषण कम ना होकर उसे आज भी पुरूषों के हाथ की कठपुतली माना जाता हैं। जैसे पति द्वारा पत्नी को चलाया जाता हैं। पत्नी वैसे ही चलती है यदि पत्नी वैसा नहीं करती ता पति के अत्याचार आरम्भ हो जाते हैं। उसे प्रताड़ित किया जाने लगता है।

आधुनिक समय में जहां हमारे देश ने विज्ञान में इतनी उन्नति व तरक्की की है वहीं मनुष्य अपने स्वार्थो को पूरा करने के लिए प्रकृति के बनाएं नियमों से छेड़ छाड़ किये बिना नहीं रहता हैं। जोकि नारी जाति व हमारे पूरे समाज के लिए घातक सिद्ध हो सकता हैं। आजकल कन्या भ्रूण हत्याओं का क्रम लगातार बढ़ता ही जा रहा हैं। जिससे हमारे देश में लिगांनुपात बढ़ता जा रहा हैं। और स्त्रियों की संख्या घटती जा रही हैं। हमारे समाज में आज भी लड़को को लड़कियों के मुकाबले अधिक महत्ता दी जाती हैं। पुत्र को ही पिता का उत्तराधिकारी माना जाता है कि पुत्र ही माता पिता में बुढ़ापे में उनका सहारा बनेगा।

आधुनिक समय में लनगणना में लड़कियों के गिरते अनुपात का एक कारण यह भी है कि लब से लिंग जांच परीक्षण की मशीनों का निर्माण हुआ। तब से सरकार ने भी जनसंख्या नियत्रंण करने हेतु गर्भपात को वैधानिक मान्यता दे दी थी परन्तु जब इससे जनसंख्या में औरतों की संख्या घटने लगी तब चारों और से आवाजें उठने लगी तब सरकार ने गर्भपात पर प्रतिबंद्ध लगाया। ''पिछले 20 सालों में भारत में करीब एक करोड़ भ्रूणों का समाप्त किया अर्थात हर साल करीब पांच लाख बच्चियों की जन्म लेने से पूर्व की हत्या कर दी गई थी।'' आजादी के बाद पहली जनगणना में प्रति हजार पुरूषों पर जहां 986 महिलांए थी वहां 50 साल बाद उनका अनुपात घट कर 927 रह गया हैं। पंजाब में ताजा सरकारी आकंडों के अनुसार एक हजार बच्चों के मुकाबले बच्चियों की संख्या 775 की रह गई है।''
एक रिपोर्ट के अनुसार देश में एक वर्ष में अनुमानतः 2.90 लाख कन्याएं पैदा होने से पहले ही मार दी जाती हैं।3

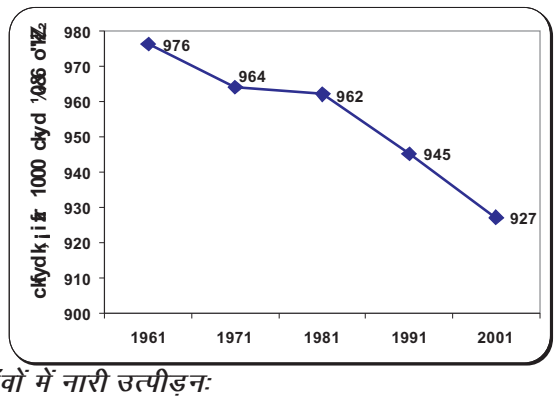

गॉवों में नारी उत्पीड़नः

औरतों को आदमियों ने सताया हैं लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। औरतों को सताने में उन्हें प्रताड़ित करने में औरते भी मुख्य भूमिका निभाती है। खुद अत्याचार की शिकार होने के बाद भी कई औरते दूसरी औरतों की मदद करने की बजाय उन्हें दुःखी करती है। ऐसा सब गांवों में अधिकतर देखने को मिलता है। गांवों में ज्यादातर देखा जाता है कि सास बहुओं को सताने में आगे रहती है इसका प्रमुख कारण अनपढ़ता ही हैं क्योंकि गांवों में आज आधुनिक करने के लिए कहा जाता है व उन्हें स्कूल नहीं भेजा जाता। औरत को समाज में नीचा दर्जा दिया गया हैं। इसलिये हर व्यक्ति औरत को नीचा ही समझता है। ''गांवों में औरतों पर दहेज से सम्बन्धित अत्याचार किए जाते है जिसमें सास, ससुर, पति व ननद द्वारा लड़की, से मार पीट की जाती हैं। ऐसे में वह नारी, पुलिस व सरकार का सहारा भी नहीं ले पाती क्योंकि गांव में अनपढ़ता होने के कारण वह अनपढ़ रह गई व उसे इन सब कानूनों का ज्ञान ना होने के कारण अपने ससुराल वालों की प्रताड़ना को ही सहन करना पड़ता है।''

''गांवों में नारी उत्पीड़न अधिक देखा जा सकता है जैसे–बालविवाह, दहेज हत्या, कन्या–भ्रूण हत्या के लिए मजबूर किया जाता हैं।''

शहरों की भयावह स्थितिः–

''शहरों में औरतें काम करने की लिए घर बाहर निकलती है कई औरतें फैक्ट्रीयों और खेतों में काम करती है वही काम पुरूष भी कर रहे होते हैं परन्तु एक जैसे काम के लिए दोनों को पैसे एक जैसे नहीं मिलते पुरूषों को स्त्रियों की अपेक्षा अधिक पैसे मिलते हैं। औरतों को भारत में कम मजदूरी मिलती है। यह औरतों में साथ बेइंसाफी है।5

''एक और दुःख की बात है कि ज्यादातर परिवारों में माँ–बाप अपनी मौत के बाद अपनी बेटियों के लिए कुछ नहीं छोड़ जाते। उनके नाम कोई जायदाद नहीं होती और न ही उन्हें परिवार भी जायदाद में से कोई हिस्सा मिलता है। भारत की कुल सम्पत्ति का 1ः से भी कम हिस्सा स्त्रियों के नाम है।''6 ''आज हमारे देश में 100 में से 40 औरतें अपने पति की पिटाई का शिकार हैं। बड़े अफसोस की बात है कि कई परिवारों में औरों की पिटाई को उचित समझा जाता है। उन्हें कायदें में रखना जरूरी समझा जाता है ताकि वह अपने कर्त्तव्य को ठीक तरह निभाना सीखें। अफसोस की बात तो यह है कि औरतें भी इसे अपना भाग्य समझ कर स्वीकार कर लेती है।''7

शहरों में व कस्बों में पति की मौत के बाद उसके परिवार वाले बहू को कोसते हैं कि वह बदकिस्मत है और अपने पति की मौत के लिये जिम्मेदार है। विधवा औरतों को समाज के बाहर ही रखा

जाता है शादी, नामकरण, जन्म दिन आदि मौकों पर विधवा को मनहूस समझकर दूर ही रखा जाता है।

बेटियों को बोझ समझा जाता है'' भारत में हर एक घण्टे में एक दहेज–हत्या होती है।''8 ''आज लगभग हर घण्टे में कहीं न कहीं एक दहेज हत्या का मामला किसी कचहरी में दर्ज किया जाता है।''9 ''हर मिनट में पति और उसके परिवार वालों के निर्दयी बर्ताव के मामले की रिपोर्ट होती है।''10

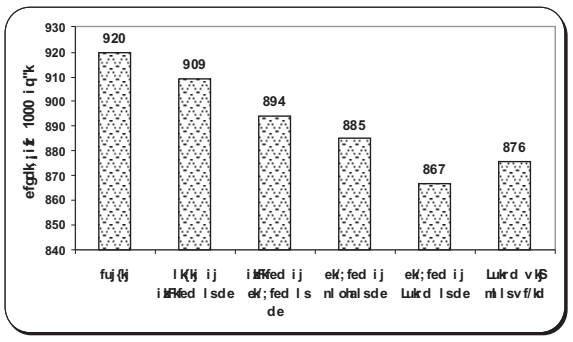

''पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में नवजन्मी बच्चियों को मारने के रिवाज इतिहास की जड़ों में है परिवार के मुखिया के कहने पर दाई बच्ची के एक हाथ में गुड़ और दूसरे में रूई की पूनी रखकर कहती थी, पूनी कत्ती ते गुड़ खाई, वीरें नू भेजी, आप ना आई। फिर बच्ची को मिट्टी की हाँडी में डालकर हाँडी का मुँह बंद कर दिया जाता था। और दाई उसे दूर सुनसान जगह पर रख आती थी चूंकि समाज में इसकी मंजूरी थी अतः न तो इसे पाप माना जाता था और न ही अपराध । आज भारत में 5 करोड़ से ज्यादा औरतों की कमी हैं।''12

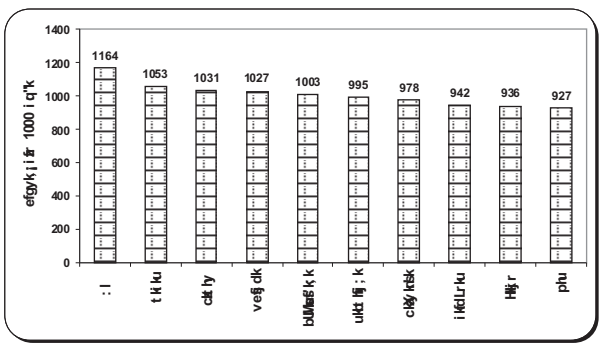

''आज कुछ गिने–चुने शहरी समाजों में तो 1000 लड़कों की तुलना में सिर्फ 300 लड़कियाँ ही हैं इसका कारण है कि शहरों में लिंग चुनाव की तकनीक का फायदा आसानी से उठाया जाता है।''13

''जब तक हम बेटी के जन्म का भी वैसे ही स्वागत नहीं करते जितना बेटे के जन्म का, तब तक हमें समझना चाहिये कि भारत विकलांग रहेगा।''14

– महात्मा गांधी

लिंग जाँच कराने में गाँव के मुकाबले शहरी लोग आगे ।

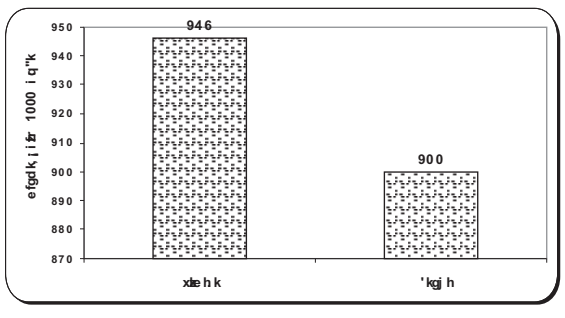

निष्कर्षः– ''निष्कर्ष में यही कहा जा सकता है कि पुराने समय में भी नारी की दशा इतनी सुदृढ़ नहीं थी। परन्तु आधुनिक समय में कुछ सुधान होने के साथ–साथ कई जगहों पर यह भी देखा गया है कि स्थिति पहले से भी खराब हो गई है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में व कस्बों में नारी पर अत्याचारों की संख्या कम नहीं है कहीं पर उन्हें दहेज के लिए व कही पर उन्हें कन्या भ्रूण–हत्या के लिए प्रताड़ित किया जाता है।''16

''नारी पर अत्याचार व उन्हें प्रताड़ित किया जाना एक सोची–समझी नीति के अनुसार हमारे समाज में बेटियों की सत्ता को मिटाने हेतु किये जाते हैं। स्थिति इतनी गम्भीर हो चुकी है कि कुछ लोग इसे गुप्त रूप से हो रहा जनसंहार और कत्लेआम कहने लगे हैं।''17

सन्दर्भ–ग्रंथ

1. महिला और बदलता सामाजिक परिवेश, प्रो0 मान चन्द खंडेला, प्रथम संस्करण–2008, अविष्कार पब्लिशर्स।
2. जैन, अरविन्द्र, औरत होने की सजा, विकास पेपर बैक्स, दिल्ली, 1994।
3. वही
4. महिला और बदलता सामाजिक परिवेश, प्रो0 मान चन्द खंडेला, प्रथम संस्करण–2008, अविष्कार पब्लिशर्स।
5. वही
6. नारी को अधिकार दो, लीना चावला राजन, लक्ष्मी ऑफसेट प्रिन्टर्स, प्रथम संस्करण–2010
7. राधाकुमार, 'स्त्री संघर्ष का इतिहास' वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2002 ई0
8. नारी को अधिकार दो, लीना चावला राजन, लक्ष्मी ऑफसेट प्रिन्टर्स, प्रथम संस्करण–2010
9. वही
10. वही
11. कमला देवी चट्टोपाध्याय, 'वूमेन मुवमैन्ट इन इडिंया'।
12. नारी को अधिकार दो, लीना चावला राजन, लक्ष्मी ऑफसेट प्रिन्टर्स, प्रथम संस्करण–2010
13. वही
14. वही
15. नारी को अधिकार दो, लीना चावला राजन, लक्ष्मी ऑफसेट प्रिन्टर्स, प्रथम संस्करण–2010
16. महिला और बदलता सामाजिक परिवेश, प्रो0 मान चन्द खंडेला, प्रथम संस्करण–2008, अविष्कार पब्लिशर्स।
17. नारी को अधिकार दो, लीना चावला राजन, लक्ष्मी ऑफसेट प्रिन्टर्स, प्रथम संस्करण–2010